न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या 48/2010/प्रार्थना पत्र कन्टेम्प्ट

किशन सिंह पुत्र स्व. रूपनारायण सैनी, जाति सैनी, निवासी वार्ड नं. 7, गायत्री मन्दिर के पीछे, सीकर। प्रार्थी

बनाम

श्रवण कुमार पुत्र चुन्नीलाल टेलर, जाति टेलर, निवासी वार्ड नम्बर 7, गायत्री मन्दिर के पास, सीकर।

अप्रार्थी

उपस्थितः–

1. श्री राम प्रकाश गुप्ता अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री महेन्द्र पारीक अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

प्रार्थना पत्र बाबत न्यायालय आदेश की अवमानना

निर्णय

दिनांक : 02 अप्रैल, 2018

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अवमानना के तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार होना अंकित किया हैः–

(1) अप्रार्थी द्वारा नगर परिषद सीकर से एक पक्षीय कार्यवाही में प्राप्त की गई अवैध निर्माण स्वीकृति आदेश की आड़ में रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करने तथा तलघर का निर्माण अपनी भूमि से एवं पश्चिम की तरफ से चली आ रही पुरानी बिल्डिंग लाईन के बाहर निकलकर रास्ते की भूमि की ओर बढ़ता हुआ तथा सेट–बैक छोड़े बिना अवैध निर्माण करने की कुचेष्ठा में हो जाने पर इस न्यायालय में एक अपील व साथ में स्टे प्रार्थना पत्र उपरोक्त उनवानी जिसकी प्रार्थना पत्र संख्या 13/10 कायम हुए जिसमें दिनांक 06.04.2010 को अंतरिम आदेश इस आशय का जारी किया गया है कि निर्माण स्वीकृति की कियान्विति आगामी सुनवाई तिथि तक यथास्थिति बनाये रखें। जो आदेश आज तक लगातार प्रभावशाली है। अप्रार्थी ने इस आदेश का आदर न कर जानबूझकर अवज्ञा करते हुए दिनांक 24.04.2010 व 25.04.2010 को शनिवार व रविवार का अवकाश देखकर बिना छत के अपूर्ण अवैध तलघर का निर्माण आगे बढ़ाया। इस कारण न्यायालय आदेश की जानबूझकर अवमानना की गई है।

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

(2) न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 06.04.2010 के दिन अप्रार्थी ने वादग्रस्त स्थल पर अवैध तलघर बिना छत का बना रखा था यानी केवल चारों तरफ की दीवार ही निर्मित की हुई थी जिसकी पुष्टि कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 08.04.2010 व मौके के फोटोग्राफ से होती है जो मौके स्थिति दिनांक 23.04.2010 तक यथावत रही।

(3) दिनांक 24.04.2010 शनिवार व 25.04.2010 रविवार को अवकाश का मौका देखकर बिना छत के खुले तलघर पर स्लेब डालने की तैयारी हेतु लगाए जाने वाले लोहे के पट्टों का अड्डा बांधा फिर लोहे के सरियों व तारों से निर्मित जाल तलघर की पूरी लम्बाई व चौड़ाई तक डलवा दिया और 26.04.2010 को बजरी, सीमेंट व कंकरीट की निर्माण सामग्री से लोहे के जाल को भरकर नई स्लेब डालकर अवैध निर्माण किया गया। इस दौरान प्रार्थी द्वारा ऐतराज करने एवं न्यायालय के आदेश की बात बताने पर अवैध कार्य को नही रोका और न्यायालय व आदेश के प्रति अपमानजनक कथन किये जिसकी शिकायत दिनांक 26.04.2010 सोमवार को इस न्यायालय से व नगर परिषद सीकर को की गई इसके उपरान्त भी अवैध निर्माण को नहीं रोका तथा कानून व शांति व्यवस्था के भंग होने का अंदेशा पाकर पुलिस कोतवाली में शिकायत की, जिसकी जांच में पुलिस ने मौका देखा और अवैध निर्माण को चालू पाया तो न्यायालय के आदेश की अवज्ञा में कराये गए अवैध निर्माण कार्य को न करने का चेतावनी देने पर थोड़ी देर के लिए काम रोक दिया फिर पुनः शुरू कर स्लेब डालने के काम को अंजाम देकर जानबूझकर न्यायालय आदेश की अवज्ञा की। इस कारण अप्रार्थी द्वारा न्यायालय की अवज्ञा में कराये गये अवैध निर्माण कार्य को उसके खर्चे से हटाया जाकर पूर्व स्थिति कायम करवाया जाना तथा अप्रार्थी को सिविल कारावास से दण्डित किया जाना भी उचित एवं आवश्यक है।

(4) न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवज्ञा में यथास्थिति को भंग कर कराये जाने वाले निर्माण कार्य के प्रति सर्तकता एवं सजगता बरतना नगर परिषद सीकर का भी दायित्व है लेकिन उपेक्षा बरतकर अप्रार्थी के अवैध निर्माण को रोकने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की, जो कृत्य एवं आचरण अप्रार्थी से अन्यथा प्रभावित होने की स्थिति को परिलक्षित करता है। इस कारण नगर परिषद सीकर को भी न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना सुनिश्चित किये जाने एवं सतर्क रहने हेतु निर्देशित किया जाना भी उचित और आवश्यक है।

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवज्ञा में अप्रार्थी द्वारा किये गये अवैध निर्माण कार्य उसके खर्चे से हटाया जाकर पूर्व स्थिति कायम करवाया जाना तथा अप्रार्थी को सिविल कारावास से दण्डित किया जाना प्रार्थनीय है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से वकील श्री महेन्द्र पारीक उपस्थित आये।

3. अप्रार्थी ने अपने लिखित जवाब आवेदन पत्र में अभिकथन किया है कि:–

(1) अप्रार्थी के द्वारा प्रश्नगत आवासीय भूखण्ड दिनांक 01.02.2002 को चिरंजीलाल, बनवारी लाल, जाति ब्राहम्ण निवासी मोहल्ला नायकान सीकर से क्रय किया था। सम्पूर्ण भूखण्ड 961 वर्गगज का है। सम्पूर्ण भूखण्ड का पट्टा मिशल पत्रावली संख्या 9 दिनांक 06.10.1989, जो पट्टा नगर परिषद सीकर के आयुक्त नगर परिषद सीकर व प्रशासक नगर परिषद सीकर के हस्ताक्षर व मुद्रा से बना हुआ है।

(2) अप्रार्थी ने उक्त सम्पूर्ण भूखण्ड में से प्रश्नगत आवासीय भूखण्ड को जरिये विक्रय पत्र क्रय किया था। क्रय करने के पश्चात अप्रार्थी के द्वारा नगर परिषद सीकर से विधिवत निर्माण कार्य की इजाजत के लिए आवेदन किया गया। नगर परिषद सीकर के इजाजत देने से पूर्व अपनी विधिक प्रतिक्रिया पूरी करते हुए आवेदन के 3 वर्ष बाद निर्माण कार्य करने की इजाजत दिनांक 0302.2010 को प्राप्त की थी। इसके साथ अप्रार्थी के द्वारा नगर परिषद सीकर से अपने प्रश्नगत आवासीय भूखण्ड का पट्टा भी दिनांक 25.09.2008 को प्राप्त किया है।

(3) अप्रार्थी के द्वारा नगर परिषद सीकर से स्वीकृत पट्टा एवं स्वीकृत निर्माण इजाजत सीमा के अन्तर्गत निर्माण कार्य किया गया है। प्रार्थी द्वारा यह कथन करना कि दिनांक 06.04.2010 को अन्तिम आदेश प्राप्त होने के बाद निर्माण कार्य किया गया है, का कथन गलत है। अप्रार्थी के द्वारा न्यायालय के आदेश का हमेशा समान किया है।

(4) प्रार्थी के द्वारा उक्त तथ्य के आधार पर एक वाद अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश खण्ड 2 सीकर के मध्य प्रस्तुत किया था। माननीय न्यायालय के द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश का निर्णय दिनांक 20.04.2010 को करते हुए प्रार्थी को रास्ते का अतिक्रमी माना है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया गया है। उक्त आदेश के विरूद्व प्रार्थी द्वारा माननीय जिला न्यायाधीश सीकर के यहां प्रस्तुत की गई, जो हस्तान्तरित होकर अपर जिला सेशन एवं न्यायाधीश क्रम संख्या 1 सीकर के यहां हस्तान्तरित की गई।

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 29.04.2010 को आदेश पारित करते हुए निर्णय दिया कि नगर परिषद सीकर का जवाब है कि अप्रार्थी के द्वारा नगर परिषद सीकर से अनुमति लेकर विधिवत निर्माण कार्य किया जा रहा है एवं अतिक्रमण नहीं किया जा रहा है। न्यायालय ने निर्णय में अंकित किया है कि प्रार्थी स्वयं अतिक्रमी है एवं अतिक्रमी को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने पर अपूर्णीय क्षति होना नहीं पाया जाता है तथा प्रार्थी का स्थगन आवेदन खारिज फरमाया गया। इस प्रकार से दोनों सिविल न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को किसी प्रकार से रास्ते का एवं निर्माण स्वीकृति से अधिक निर्माण करने का दोषी नहीं माना है।

(5) नगर परिषद सीकर के द्वारा अपने जवाब में एवं बहस में यहीं अंकित किया गया है कि अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का न्यायालय के आदेश का उल्लंघन नहीं किया है। प्रार्थी के द्वारा सिविल न्यायालय के आदेशों के विरूद्व एक रिट राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में प्रस्तुत की है, जो दिनांक 15.04.2011 को खारिज फरमा दी गई।

अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का आवेदन खारिज फरमाया जावे।

4. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5. वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि अप्रार्थी द्वारा नगर परिषद सीकर से एक पक्षीय कार्यवाही में प्राप्त की गई अवैध निर्माण स्वीकृति आदेश की आड़ में रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करने तथा तलघर का निर्माण अपनी भूमि से एवं पश्चिम की तरफ से चली आ रही पुरानी बिल्डिंग लाईन के बाहर निकलकर रास्ते की भूमि की ओर बढ़ता हुआ तथा सेट बैक छोड़े बिना अवैध निर्माण करने की कुचेष्ठा में हो जाने पर इस न्यायालय में एक अपील व साथ में स्टे प्रार्थना पत्र उपरोक्त उनवानी जिसमें प्रार्थना पत्र संख्या 13/10 कायम हुए जिसमें दिनांक 06.04.2010 को अंतरिम आदेश इस आशय का जारी किया गया है कि निर्माण स्वीकृति की क्रियान्विति आगामी सुनवाई तिथि तक यथास्थिति बनाये रखें। जो आदेश आज तक लगातार प्रभावशाली है। अप्रार्थी ने इस आदेश का आदर न कर जानबूझकर अवज्ञा करते हुए दिनांक 24.04.2010 व 25.04.2010 को शनिवार व रविवार का अवकाश देखकर बिना छत के अपूर्ण अवैध तलघर का निर्माण आगे बढ़ाया। इस कारण न्यायालय आदेश की जानबूझकर अवमानना की गई है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवज्ञा में अप्रार्थी द्वारा किये गये अवैध निर्माण कार्य उसके खर्चे से हटाया जाकर पूर्व स्थिति कायम करवाया जाना तथा अप्रार्थी को सिविल कारावास से दण्डित किया जाना प्रार्थनीय है।

जिला कलक्टर, सीकर

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

6. वकील अप्रार्थी ने जवाब आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को दोहारते हुए दौराने बहस अवगत कराया कि अप्रार्थी के द्वारा नगर परिषद सीकर से स्वीकृत पट्टा एवं स्वीकृत निर्माण इजाजत सीमा के अन्तर्गत निर्माण कार्य किया गया है। नगर परिषद सीकर के द्वारा अपने जवाब में एवं बहस में यहीं अंकित किया गया है कि अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का न्यायालय के आदेश का उल्लंघन नहीं किया है। अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश खण्ड 2 सीकर तथा अपर जिला सेशन एवं न्यायाधीश क्रम संख्या 1 सीकर दोनों सिविल न्यायालयों के द्वारा प्रार्थी का स्थगन आवेदन खारिज फरमाया गया। इस प्रकार से दोनों सिविल न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को किसी प्रकार से रास्ते का एवं निर्माण स्वीकृति से अधिक निर्माण करने का दोषी नहीं माना है। अतः प्रा. पत्र कन्टेम्प्ट खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

7. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि:–

(1) न्यायालय अतिरिक्त न्यायाधीश क्रम संख्या 2 सीकर के निर्णय दिनांक 20.04.2010 उनवानी किशन सिंह सैनी बनाम श्रवण कुमार वगै. के मुताबिक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सि.प्र.स. विरूद्व अप्रार्थीगण अस्वीकार की गई तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत काउण्टर टी. आई. विरूद्व प्रार्थी भी अस्वीकार की गई है।

(2) अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या 1 सीकर के निर्णय दिनांक 29.04.2010 के मुताबिक अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन 65/2010 तथा 39/2010 उनवानी किशन सिंह बनाम श्रवण कुमार खारिज किया गया है।

(3) राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर ने प्रार्थी किशन सिंह द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नम्बर 6905/2010 उनवानी किशन सिंह बनाम श्रवण कुमार वगै. को अपने निर्णय दिनांक 15.04.2011 से खारिज किया गया है।

(4) आयुक्त, नगर परिषद सीकर द्वारा प्रस्तुत जवाब से भी प्रार्थी के आरोपों की पुष्टि नहीं होती है।

8. उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कन्टेम्प्ट **खारिज** किया जाता है।

9. निर्णय आज दिनांकः **०२ अप्रैल, 2018** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला कलक्टर, सीकर
जिला कलक्टर, सीकर

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
Scanned by CamScanner